

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
-:अधिसूचना:-

संचिका संख्या :-6/अ0-03-17/2021

पटना, दिनांक-

श्रीमती कुसुम कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-640, दिनांक-19.01.2015 के अनुसार बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220A में निहित प्रावधान के आलोक में उनकी प्रथम संतान की देखभाल हेतु दिनांक-12.05.2026 से 11.09.2026 तक कुल 123 (एक सौ तेईस) दिनों का शिशु-देखभाल छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/अ0-03-17/2021 1614

पटना, दिनांक- 11/05/26

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना-800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर/नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती कुसुम कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।